

19/2/20 को पेय लो

जिला कलेक्टर
बाग (जिला-सुरात)

19 $\frac{2}{20}$

पत्रावली पेय हुई। वकील वाडी उपन/ वदस

बम्बई वाड़ी की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन
किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली वाड़ी अपन
वाद में यह लक्ष्य साधित करने में असफल
रहा है कि शब्दशाम उर्फ छोटेया कोने लु
दी ध्यानी है। लक्ष्मीलक्षर बामनवास की रिपोर्ट
की आधार पर भी वाड़ी को अपना वाद साधित
करने में कोई बल नहीं मिला है। लक्ष्मीलक्षर
बामनवास द्वारा उक्त रिपोर्ट में वाद उक्त
असली छोड़कर के नाम जारीये विद्युत् पत्र
से आना बर्णित है। ऐसे में शब्दशाम उर्फ छोटेया
द्वारा जलद अंजन करण प्रथम लक्ष्य साधित
नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार
पर वाड़ी का वाद पत्र अस्वीकार किया
जाकर खारिज किया जाता है। तथा वाड़ी
को लक्ष्मीलक्षर दी जाती है कि वह नये लक्ष्य
के साथ यदि वाद पत्र नये सिरे से पेश
करने की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली फौजदारी मुकाम छोड़कर वाद लक्ष्मीलक्षर
दफ्तर शाब्दिक की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19-2-20
को सुबले न्यायालय में सुनाया गया।

ज जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०सा०)

